रजि॰ सं॰ डी॰ एल॰—33004/95 REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 299] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 11, 1995/आषाढ़ 20, 1917
No. 299] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 11, 1995/ASADHA 20, 1917

IndiaCode

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 1995

सा.का.नि. 542(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1995 के जुलाई माह की 17 तारीख को उस तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जिस तारीख से उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (3) के उपबंध भारतीय खेल प्राधिकरण को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित एक सोसायटी है, लागू होंगे तथा भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 730(अ) तारीख 2 मई, 1986 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम सं. 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी अर्थात् :—

क्रम सं.	निगम/सोसाइटी/अन्य प्राधिकरण का नाम	
1	2	3
"9.	भारतीय खेल प्राधिकरण	सरकार द्वारा नियंत्रित सोसाइटी।"

[सं. पी. 13023/5/94-ए. टी.]

टी. सी. पंत, निदेशक

पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में दिनांक 2 मई, 1986, की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 730(ई) द्वारा प्रकाशित की गई तथा तदनंतर निम्नानुसार संशोधित की गई :—

(1) दिनांक 31-10-1986 की सा.का.नि. 1172(ई)

(2) दिनांक 6-2-1987 की सा.का.नि. 84(ई)

(3) दिनांक 20-4-1987 की सा.का.नि. 409(ई)

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 1995

G.S.R. 542 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby specifies the 17th day of July, 1995, as the date on and from which the provisions of sub-section (3) of section 14 of the said Act shall apply to the Sports Authority of India, being a society controlled by the Central Government and makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) number G.S.R. 730 (E), dated the 2nd May, 1986, namely:—

In the schedule to the said notification, after serial number 8 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be added, namely:—

Sl. No.	Name of the Corporation/Society/other authority	
1	2	3
"9.	Sports Authority of India	A Society controlled by the Government."

[No. P-13023/5/94-AT]

T. C. PANT, Director

Footnote: Principal notification was published in the Gazette of India Part II, Sec. 3, Sub-section (i) *vide* Notification No. GSR 730 (E) dated 2nd May, 1986 and subsequently amended by:—

(1) GSR 1172 (E), dated 31-10-1986.

(2) GSR 84 (E), dated 6-2-1987.

(3) GSR 409 (E), dated 20-4-1987.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995